झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: ***संकल्प*** ::

5383
15/4/15

कृपया पढ़े :–

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–2741, दिनांक 23.03.2013
2. श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक–61, दिनांक 31.01.2015

श्री कमल किशोर रवि, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 397/03, गृह जिला– सिंहभूम), के अपर समाहर्त्ता, पलामू के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–199/गो0, दिनांक 18.02.2013 द्वारा प्रपत्र– 'क' में आरोप प्रतिवेदित हैं।

प्रपत्र– 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं :–

1. सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक–6406, दिनांक–30.11.2010 से प्राप्त निदेश के आलोक में अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवार के बीच खाद्यान्न के वितरण हेतु उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–5/आ0, दिनांक–12.01.2011 से जिला स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण/पर्यवेक्षण के लिये आपको नामित किया गया था, परंतु आपके द्वारा कभी भी इस वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में कोई अनुश्रवण/निरीक्षण का कार्य नहीं किया गया। आपके द्वारा अगर उपरोक्त दिये गये निदेश का अनुपालन सही ढंग से किया जाता, तो छत्तरपुर प्रखण्ड अंतर्गत अनाज के उठाव एवं वितरण में अनियमितता की संभावना नहीं रहती।

2. आपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की है।

3. सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानदारों के बीच अतिरिक्त बी0पी0एल0 के चावल वितरण के लिए पंजी संधारित करने का निदेश दिया गया था। पंजी में प्रत्येक माह वितरित किये गये चावल की मात्रा अंकित करते हुए उपभोक्ता के हस्ताक्षर कराने थे। आपके द्वारा जन–वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण नहीं करने के फलस्वरूप दुकानदारों ने उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया।

विभागीय पत्रांक–2741, दिनांक 23.03.2013 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा श्री रवि से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। फलतः विभागीय संकल्प संख्या–1514, दिनांक 18.02.2014 द्वारा श्री रवि के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा,

सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सिन्हा के पत्रांक–61, दिनांक 31.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री रवि के विरूद्ध प्राप्त आरोप तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री रवि के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री कमल किशोर रवि, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–352/2014 का॰–3383/राँची, दिनांक 15 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।